न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारीः मदन सिंह चौधरी, आर.जे.एस

10 वर्ष से अधिक अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक	-	**24.04.2026**
फौज. मूल प्र.सं.	-	**17/2016**
सी.आई.एस नंबर	-	**944/2016**
सी.एन.आर. नंबर	-	**RJJL060000122016**
प्रथम सूचना रि. सं.	-	**184/2014**
अंतर्गत धारा	-	**19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम**
पुलिस थाना	-	**रामसीन**

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

उपस्थितः-

श्रीमान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

ब ना म

अभियुक्तगणः-

01. राहुल पुत्र लिखमाराम, निवासी लुखु, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

02. रमेशकुमार पुत्र किशनाराम, निवासी भालनी, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर।

उपस्थितः-

01. श्रीमान रघुनाथ सियाक- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राहुल की ओर से।

02. श्रीमान विक्रम कुमार ढाका- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त रमेशकुमार की ओर से।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	21.12.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.12.2014
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	06.01.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	अभियुक्त राहुल 21.02.2019 अभियुक्त रमेश कुमार 20.07.2023
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	15.09.2023
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	24.04.2026
निर्णय की तिथि	24.04.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	दीपसिंह	मौतबीर जब्ती बरामदगीस्थल, गिरफतारी मुलजिम
पीडब्ल्यू 2	बाबुलाल	मौतबीर जब्ती बरामदगीस्थल, गिरफतारी मुलजिम
पीडब्ल्यू 3	सुल्तानराम	एफएसएल जमा करवाना
पीडब्ल्यू 4	महेबूब खां	मालखाना जमा करवाना
पीडब्ल्यू 5	देवाराम	एसपीओ अग्रेषण पत्र तैयार करना
पीडब्ल्यू 6	दीपसिंह	मौतबीर गिरफतारी मुलजिम
पीडब्ल्यू 7	जुगल किशोर	कॉल डिटेल निकालना
पीडब्ल्यू 8	गुमानाराम	कायमी मुकदमा तफतीशी हालात व नतीजा देना
पीडब्ल्रयू 9	दौलाराम	औपचारिक गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क. अभियोजन

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	रोजनामचा आम	प्रदर्श पी.1
2.	फर्द बरामदगी अवैध अंग्रेजी शराब	प्रदर्श पी.2
3.	फर्द जब्ती वाहन FORD ECOSPORT बरंग सफेद नंबर RJ 19 Temp 0195850	प्रदर्श पी.3
4.	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल अवैध अंग्रेजी शराब	प्रदर्श पी.4
5.	फर्द गिरफतारी रमेश कुमार	प्रदर्श पी.5
6.	अग्रेषण पत्र पुलिस थाना रामसीन	प्रदर्श पी.6
7.	एफएसएल जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र	प्रदर्श पी.7
8.	प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी.8
9.	रोड़ सर्टिफिकेट	प्रदर्श पी.9
10.	फर्द गिरफतारी राहुल	प्रदर्श पी.10
11.	मोबाइल नंबर की सीडीआर	प्रदर्श पी.11

ख. बचाव

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	पुलिस बयान दौलाराम	प्रदर्श डी.1

- निर्णय -

दिनांकः 24.04.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि-

> **"दिनांक 20.12.2014 को थानाधिकारी गुमानाराम नि.पु. मय श्री दीपसिंह हैड कानि. 361, कानि. तेजाराम नं. 668, दीपक कुमार कानि. 631, बाबुलाल कानि. 405, दौलाराम कानि. 568 जरिये सरकारी जीप व चालक राकेश कुमार नं. 294 थाना से वक्त 09.00 पीएम पर रवाना होकर माण्डोली पहुंच कर नाकाबंदी शुरू की, दौराने**

नाकाबंदी वक्त 12.30 एएम पर जालोर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी तेज गति से आती दिखाई दी, जिस पर थानाधिकारी मय पुलिस जाब्ता ने उक्त वाहन को रोकने का ईशारा किया मगर वाहन पुलिस नाकाबंदी तोड़कर रामसीन की तरफ भाग गया, जिस पर थानाधिकारी मय जाब्ता ने उक्त वाहन का पीछा किया तो वाहन रामसीन व माण्डोली के बीच रोड़ के साईड में असंतुलित होकर एक बबुल की पेड़ के टकराया व पड़ा दिखाई दिया जिस पर वाहन में संदिग्ध वस्तु होने का संदेह होने पर वाहन की तलाशी लेना आवश्यक होने व थानाधिकारी मय जाब्ता ने वाहन को चैक किया तो वाहन FORD ECO SPORT बरंग सफेद जिसके पीछे नंबर RJ 19 TEMP 0195850 लिखे हुये वाहन की फाटक खोलकर अंदर चैक किया तो शराब के कार्टून व बोतलें भरी हुयी पायी गयी। वाहन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा नहीं पाया। संभवत वाहन चालक पुलिस का पीछा देखकर वाहन को छोड़कर बबुल की झाडियों व अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन में शराब अवैध बिना परमिट की होना पाया जाने पर अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की हृद में आना पाये जाने पर वाहन में भरी शराब व वाहन को वजह सबूत कब्जा पुलिस लेना आवश्यक होने से रात्रि में मौके पर कोई स्वतंत्र मौतबीर उपस्थित नहीं होने से हमरा पुलिस जाब्ता में से हैड कानि. श्री दीपसिंह नं. 361 व कानि. श्री बाबुलाल नं. 405 को मौतबीर मामूर कर वाहन की तलाशी ली गयी तो निम्न प्रकार कि अवैध शराब पायी गयी। 1. BLACK DOG (RESERVE) के तीन कार्टून, 2. BLACK DOG TRIPLE GOLD के तीन कार्टून, प्रत्येक में 6-6 बोतलें, 3. BLENDERS PRIDE की खुली 49 बोतलें, 4- PASSPORT SCOTCH के तीन कार्टून, प्रत्येक में 12-12 बोतलें तथा PASSPORT SCOTCH की 24 खुली बोतलें, 5. 100 PIPERS DELUXE की खुली 39 बोतलें, 6. TEACHERS की खुली 20 बोतलें, 7. SMIRNOFF VODKA के

5 कार्टून, प्रत्येक में 12-12 बोतलें, 8. BLACK & WHITE के 1 कार्टून जिसमें 12 बोतल व BLACK & WHITE शराब की 28 बोतलें खुली पाई गई। जिन पर प्रत्येक बोतल पर FOR SALE IN HARYANA ONLY लिखा हुआ है। उक्त अंग्रेजी शराब को नमूना सेम्पल व वजह सबूत हेतु कब्जा पुलिस लेना आवश्यक होने से BLENDERS PRIDE की खुली 49 बोतलों में से 1 बोतल नमूना सेंपल लिया जाकर मार्क S1 अंकित किया व शेष बोतलों को 8 कार्टूनों में प्रत्येक कार्टून में 6-6 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क A1-A8 अंकित किया, BLACK DOG (RESERVE) के तीन कार्टूनों में से 1 बोतल नमूना सैंपल लिया जाकर मार्क S2 अंकित किया व शेष बची 5 बोतलों को कार्टुन में सील चैपा कर मार्क B1 व 2 कार्टुन प्रत्येक में 6-6 बोतलों को सील चेपा कर मार्क B2 व B3 अंकित किया, BLACK DOG TRIPLE GOLD के तीन कार्टून प्रत्येक में 6-6 बोतलों को सील चैपा कर मार्क B4- B6 अंकित किया। PASSPORT SCOTCH की एक बोतल को नमूना सैंपल लिया जाकर सील चैपा कर मार्क S3 अंकित किया गया। शेष शराब को 1 कार्टून में 11 बोतल व 4 कार्टून प्रत्येक में 12-12 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क C!-C5 अंकित किया गया, SMIRNOFF VODKA के 5 कार्टून में से 1 कार्टून में से 1 बोतल नमूना सैंपल निकालकर मार्क S4 अंकित किया गया। शेष शराब के 1 कार्टून में 11 बोतल व 4 कार्टूनों में 12-12 बोतलें सील चैपा कर मार्क D1 से D5 अंकित किया गया। BLACK & WHITE में से 1 बोतल वास्ते वजह नमूना सेम्पल लिया जाकर सील चैपा कर मार्क S5 अंकित किया गया। शेष शराब 1 कार्टून में 12 बोतलें सील चैपा कर मार्क E1 तथा 2 प्लास्टिक के कटटों में 12-12 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क E2 E3 व 1 प्लास्टिक के कटटे में 3 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क E4 अंकित किया गया, TEACHERS अंग्रेजी शराब की 20 बोतलों में से 1 बोतल नमूना सैंपल निकालकर सील चैपा कर मार्क S6 व शेष बची 19 बोतलों को 1 प्लास्टिक के कटटे में डालकर सील

चैपा कर मार्क F1 अंकित किया, 100 PIPERS DELUXE की 40 बोतलें जिसमें से एक बोतल नमूना सैंपल निकालकर सील चैपा कर मार्क S7 अंकित किया तथा शेष शराब को 2 प्लास्टिक के कटटों में 15-15 बोतल व 1 प्लास्टिक के कटटे में 9 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क G1-G3 अंकित किया गया, वाहन की सही ढंग से तलाशी ली गयी तो वाहन के खरीद बिल की फोटो प्रति मिली जो OS FORD 2ND PHASE BASNI, JODHPUR से खरीदा जो बिल MR. RAHUL PRAJAPAT S/O SH. LIKHAMA RAM INDRA COLONY SANCHORE DIST JALORE के नाम से दिनांक 04.06.2014 को जारी हुआ जिसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस अमित कुमार पुत्र गोपीराम रेलवे कॉलोनी श्री गंगानगर का मिला जिसको वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। वाहन FORD ECO SPORT जिसके चेसिस नंबर MAJAXXMRKAET61056 व इंजन नंबर ET61056 बरंग सफेद अलग से जरिये फर्द जब्ती के वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश माण्डोली, रामसीन, पुनककल्ला, पुनक खुर्द, झाक, रतपुरा, सिकवाड़ा की मगर कोई सुराग नहीं मिला। बाद कार्यवाही के थानाधिकारी मय जाब्ता के बरामद शराब व वाहन के थाना आया। बरामदा शराब नमूना सैंपल व वजह सबूत माफिक, फर्द के जमा मालखाना करवाया गया। वजह सबूत जब्तशुदा वाहन FORD ECO SPORT कार को थाना परिसर में खड़ी करवाकर जमा मालखाना करवायी गयी।"

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामसीन द्वारा अभियोग संख्या 184/2014 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त राहुल पुत्र लिखमाराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 14/57, 54क राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र किशनाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध

अन्तर्गत धारा 19/54, 14/57, 54 क राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त रमेश कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. आया दिनांक 20.12.2014 व 21.12.2014 को रात्रि करीब 01.30 एएम पर सरहद रामसीन व माण्डोली के बीच श्री गुमानाराम पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना रामसीन ने मय जाब्ता दौराने नाकाबंदी अभियुक्तगण के आधिपत्यशुदा वाहन FORD ECOSPORT बरंग सफेद नंबर आरजे 19 TEMP 0195850 में अंग्रेजी शराब ब्लेक डोग के तीन कार्टून प्रत्येक कार्टून में 6 बोतल, ब्लेक डोग ट्रिपल गोल्ड के तीन कार्टून प्रत्येक में 6 बोतल, ब्लेण्डर्स प्राइड की 49 बोतल, पासपोर्ट स्कोच के तीन कार्टून प्रत्येक में 12 बोतल एवं खुली 12 बोतल पासपोर्ट स्कोच, 100 पीपेरस डिलक्स की 39 बोतल, टीचर्स की 20 बोतल, समीरनोफ वाडका के पांच कार्टून प्रत्येक में 12 बोतल, ब्लेक एण्ड व्हाईट के पांच कार्टून प्रत्येक में 12 बोतल व एक कार्टून में 12 खुली बोतल तथा खुली 28 बोतल बगैर वैध अनुज्ञप्ति के एवं बगैर एक्साइज

डयूटी अदायगी के अनाधिकृत तौर से परिवहन करते हुए पाए गए?

02. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय:-

05. अभियोजन के विरुद्ध में व अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण:-

06. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की है कि- "

> **दिनांक 20.12.2014 को थानाधिकारी गुमानाराम द्वारा मय जाब्ता मांडोली पर नाकाबंदी शुरू की गयी। दौराने नाकाबंदी वक्त 12.30 एएम पर जालोर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी तेज गति से आती हुयी दिखायी दी जिस पर जाब्ता ने उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया। मगर वाहन पुलिस नाकाबंदी तोड़कर रामसीन की तरफ भाग गया। जाब्ता द्वारा वाहन का पीछा किया गया तो वाहन रामसीन व माण्डोली के बीच रोड के साइड में असंतुलित होकर एक बबूल के पेड़ से टकराया पड़ा दिखायी दिया। वाहन की तलाशी लेना आवश्यक होने पर जाब्ता द्वारा वाहन की तलाशी ली गयी तो वाहन** FORD ECO SPORT **बरंग सफेद नंबर आरजे 19** TEMP **0195850 लिखे हुए पाए गए। वाहन के अंदर शराब के कार्टून व बोतलें भरी हुयी पायी गयी। वाहन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं पाया गया। संभवतः वाहन चालक वाहन को छोड़कर अंधेरे एवं बबूल की झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। वाहन में भरी शराब को हमरा जाब्ता में शामिल हैड कानि. दीपसिंह व बाबूलाल को मौतबीर मामूर कर कब्जा पुलिस लिया गया। वाहन से जब्त शराब का ब्यौरा इस प्रकार से है कि 1.** BLACK DOG **(**RESERVE**) के तीन कार्टून, 2.** BLACK DOG TRIPLE GOLD

के तीन कार्टून, प्रत्येक में 6-6 बोतलें, 3. BLENDERS PRIDE की खुली 49 बोतलें, 4- PASSPORT SCOTCH के तीन कार्टून, प्रत्येक में 12-12 बोतलें तथा PASSPORT SCOTCH की 24 खुली बोतलें, 5. 100 PIPERS DELUXE की खुली 39 बोतलें, 6. TEACHERS की खुली 20 बोतलें, 7. SMIRNOFF VODKA के 5 कार्टून, प्रत्येक में 12-12 बोतलें, 8. BLACK & WHITE के 1 कार्टून जिसमें 12 बोतल व BLACK & WHITE शराब की 28 बोतलें खुली पाई गई। जिन पर प्रत्येक बोतल पर FOR SALE IN HARYANA ONLY लिखा हुआ है। बाद जब्ती जब्तशुदा शराब के नमूना सैंपल एवं जब्ती की कार्यवाही निम्नानुसार की गयी-BLENDERS PRIDE की खुली 49 बोतलों में से 1 बोतल नमूना सैंपल लिया जाकर मार्क S1 अंकित किया व शेष बोतलों को 8 कार्टूनों में प्रत्येक कार्टून में 6-6 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क A1-A8 अंकित किया, BLACK DOG (RESERVE) के तीन कार्टूनों में से 1 बोतल नमूना सैंपल लिया जाकर मार्क S2 अंकित किया व शेष बची 5 बोतलों को कार्टुन में सील चैपा कर मार्क B1 व 2 कार्टुन प्रत्येक में 6-6 बोतलों को सील चेपा कर मार्क B2 व B3 अंकित किया, BLACK DOG TRIPLE GOLD के तीन कार्टून प्रत्येक में 6-6 बोतलों को सील चैपा कर मार्क B4- B6 अंकित किया। PASSPORT SCOTCH की एक बोतल को नमूना सैंपल लिया जाकर सील चैपा कर मार्क S3 अंकित किया गया। शेष शराब को 1 कार्टून में 11 बोतल व 4 कार्टून प्रत्येक में 12-12 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क C!-C5 अंकित किया गया, SMIRNOFF VODKA के 5 कार्टून में से 1 कार्टून में से 1 बोतल नमूना सैंपल निकालकर मार्क S4 अंकित किया गया। शेष शराब के 1 कार्टून में 11 बोतल व 4 कार्टूनों में 12-12 बोतलें सील चैपा कर मार्क D1 से D5 अंकित किया गया। BLACK & WHITE में से 1 बोतल वास्ते वजह नमूना सेम्पल लिया जाकर सील चैपा कर मार्क S5 अंकित किया गया। शेष शराब 1 कार्टून में 12 बोतलें सील चैपा कर मार्क E1 तथा 2 प्लास्टिक के कटटों

में 12-12 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क E2 E3 व 1 प्लास्टिक के कटटे में 3 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क E4 अंकित किया गया, TEACHERS अंग्रेजी शराब की 20 बोतलों में से 1 बोतल नमूना सैंपल निकालकर सील चैपा कर मार्क S6 व शेष बची 19 बोतलों को 1 प्लास्टिक के कटटे में डालकर सील चैपा कर मार्क F1 अंकित किया, 100 PIPERS DELUXE की 40 बोतलें जिसमें से एक बोतल नमूना सैंपल निकालकर सील चैपा कर मार्क S7 अंकित किया तथा शेष शराब को 2 प्लास्टिक के कटटों में 15-15 बोतल व 1 प्लास्टिक के कटटे में 9 बोतल डालकर सील चैपा कर मार्क G1-G3 अंकित किया गया। वाहन से वाहन खरीद के बिल की फोटोप्रति मिली जिसके अनुसार वाहन राहुल प्रजापत के नाम से दिनांक 04.06.2014 को खरीदा गया। वाहन से अमित कुमार नामक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस मिला जिसे वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब कर अज्ञात मुलजिमानों की तलाशी ली गयी लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।"

बाद कार्यवाही के थानाधिकारी मय जाब्ता तथा बरामदशुदा शराब एवं वाहन के थाने आए तथा बरामदशुदा शराब मय नमूना सैंपल एवं वाहन को जमा मालखाना करवाया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। बाद अनुसंधान अभियुक्त राहुल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 एवं 54क राजस्थान आबकारी अधिनियम व मुलजिम रमेश कुमार के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 एवं 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र पेश किया गया।

07. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के क्रम में प्रदर्श 1 जाब्ता रवानगी की रोजनामचा रपट है जिसके अनुसार दिनांक 20.12.2014 को रात्रि के 09 बजे जाब्ता मांडोली की तरफ रवाना होना प्रमाणित है। अज्ञात मुलजिमान से अवैध शराब एवं वाहन की बरामदगी रूबरू मौतबीरान दीपसिंह एवं बाबूलाल के जरिये प्रदर्श 2 एवं 3 होना प्रदर्शित है। बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श 4 है। अभियुक्त राहुल को दिनांक 04.12.2015 को गिरफतार किया जाना प्रदर्श 10 से एवं अभियुक्त रमेश को दिनांक 10.12.2015 को गिरफतार किया जाना प्रदर्श 5 से प्रमाणित है। नमूना सैंपल का पुलिस थाना रामसीन से कार्यालय पुलिस अधीक्षक जालोर को प्रेषित

किया जाना प्रदर्श 6, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जालोर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर को प्रेषित किया जाना प्रदर्श 7 एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नमूना प्राप्त किया जाना प्रदर्श 8 से प्रमाणित है। जब्तशुदा शराब का जमा मालखाना होना प्रदर्श 9 से दर्शित है। अभियुक्तगण की कॉल डिटेल का ब्यौरा प्रदर्श 11 से दर्शित है।

08. उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने के क्रम में पेश गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 01 दीपसिंह है जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"मैं दिनांक 20.12.2014 को पुलिस थाना रामसीन में हेडकानिस्टेबल पद पर पदस्थापित था उस रोज थानाधिकारी गुमानाराम जी पदस्थापित थे। उस रोज थानाधिकारी गुमनाराम के साथ में कॉनिस्टेबल तेजाराम, कानिस्टेबल दीपक, कानिस्टेबल बाबुलाल, कानिस्टेबल दौलाराम सरकारी जीप चालक राकेश कुमार मय अनुसंधान बाक्स थाने से 9 पी एम पर रवाना होकर माण्डोली पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। दौरान नाकाबदी रात्रि 12.30 बजे एक सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई जिसको हमारे जाब्ते ने रूकने का ईशारा किया किन्तु कार चालक कार को भगाकर रामसीन की तरफ गया जिसका हमरा जाब्ते ने पीछा किया जिसको रामसीन व माण्डोली के बीच बबुल के पेड के पास गाडी टकराई हुई क्षतिग्रस्त अवस्था मे पडी हुई दिखी। जो गाडी फोर्ड ईको स्पोट्स थे । उस गाडी पर टेम्परेरी नम्बर राजे 19 0195850 लिखे हुये थे। गाडी को फाटक खोलकर चैक किया तो उसमे अग्रेजी शराब की कार्टुन व बोतले मिली वाहन के अन्दर कोई व्यक्ति नही थे जो अन्धेरे का फायदा उठाकर भागकर चले गये। मुझे व बाबुलाल को मौतबिर मामुर कर तलाशी ली तो बलेण्डर प्राईड की 49 बोतले ब्लैक डॉग प्रीजव के 3 कार्टुन व ब्लेक डॉग ट्रीपल गोल्ड के 3, कार्टुन सीमरन ऑफ वोडका 5 कार्टुन व पोस्पोर्ट स्कॉच की 24 बोतले ब्लैक एण्ड व्हाईट का एक कार्टन व ब्लैक एण्ड व्हाईट की 28 खुली बोतले व 100 पाईपर की खुली 39 बोतले टिचर्स की 20 बोतेले की मिली। सभी बोतलो में से व कार्टुन मे से एक एक बोतल नमुना शराब हेतु अलग निकाली। व**

नमुना शराब व शेष शराब को मौके पर सीलबंद कर मार्क अंकित किए गए। वाहन की तलाशी ली उसमे खरीद बिल की फोटो प्रति मिली जिस पर ओएस फोर्ड 2 फेस बासनी जोधपुर व बिल राहुल प्रजापत लिखमाराम इन्द्रा कॉलोनी सांचौर जिला जालोर व 4.06.2014 को जारी किया हुआ था। व एक ड्राईविंग लाईसेंस अमित कुमार पुत्र गोपीराम लिखा हुआ मिला। शराब व ईको फोर्ड स्पोट्स गाडी को पृथक् पृथक् फर्द के जरिये मौके पर जब्त की गई व बरामदगी का नक्शा बनाया गया व मौके की कार्यवाही कर मय जब्तसुदा शराब के थाने पहुंचकर थानाधिकारी गुमानाराम मुकदमा दर्ज करवाया । मेरी रपट रवानगी प्रदर्श पी 1 है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी ईको स्पोटस वाहन प्रदर्श पी 3 है जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी नक्शा प्रदर्श पी 4 है, जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझे पुछताछ कर मेरे बयान लिए थे।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि बरामदशुदा वाहन से अभियुक्त् राहुल एवं रमेश के नाम का कोई कागजात नहीं मिला। भागने वाले मुलजिमानों को उन्होंने नहीं देखा न ही पहचाना। आगे भी मुलजिमानों को कोई शिनाख्तगी नहीं करवायी गयी तथा वह अब भी मुलजिमानों को नहीं पहचानते हैं। यह कहना सही है कि प्रत्येक कार्टून से सैंपल नहीं लिया गया था तथा स्वतंत्र मौतबीरान नहीं बनाए गए थे। प्रकरण के दोनों मौतबीरान हमरा जाब्ता में से ही लिये गये थे जो कि गुमानाराम के अधीनस्थ कर्मचारी थे।

09. गवाह पीडब्ल्यू 2 बाबूलाल है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"मैं दिनांक 20.12.2014 को पुलिस थाना रामसीन में कानिस्टेबल पद पर पदस्थापित था उस रोज थानाधिकारी गुमानाराम जी पदस्थापित थे। उस रोज थानाधिकारी गुमनाराम के साथ मैं कॉनिस्टेबल तेजाराम, कानिस्टेबल दीपक, हेड कानिस्टेबल दीपसिंह, कानिस्टेबल दौलाराम, सरकारी जीप चालक राकेश कुमार मय अनुसंधान बाक्स

थाने से 9 पीएम पर रवाना होकर माण्डोली पहुचकर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी रात्रि 12.30 बजे एक सफेद रंग की कार आती हुयी दिखायी दी जिसको हमरा जाब्ते ने रूकने का ईशारा किया किन्तु कार चालक कार को भगाकर रामसीन की तरफ गया जिसको हमरा जाब्ते ने पीछा किया जिसको रामसीन व माण्डोली के बीच बबूल के पेड के पास गाडी टकराई हुई क्षतिग्रस्त अवस्था मे पडी हुई दिखी। जो गाडी फोर्ड ईको स्पोटस थी। उस गाडी पर टेम्परेरी नम्बर राजे 19 0195850 लिखे हुये थे। गाडी को फाटक खोलकर चैक किया तो उसमे अग्रेजी शराब की कार्टुन व बोतले मिली। वाहन के अन्दर कोई व्यक्ति नहीं थे जो अन्धेरे का फायदा उठाकर भागकर चले गये। मुझे व बाबुलाल को मौतबिर मामुर कर तलाशी ली तो बलेण्डर प्राईड की 49 बोतले ब्लैक डॉग प्रीजव के 3 कार्टुन व ब्लेक डॉग ट्रीपल गोल्ड के 3. कार्टून सीमरन ऑफ वोडका 5 कार्टुन व पोस्पोर्ट स्कॉच की 24 बोतले ब्लैक एण्ड व्हाईट का एक कार्टन व ब्लैक एण्ड व्हाईट की 28 खुली बोतले व 100 पाईपर की खुली 39 बोतले टिचर्स की 20 बोतेले की मिली। सभी बोतलो में से व कार्टुन मे से एक एक बोतल नमुना शराब हेतु अलग निकाली। व नमुना शराब व शेष शराब को मौके पर सीलबंद कर मार्क अंकित किए गए। वाहन की तलाशी ली उसमें खरीद बिल की फोटो प्रति मिली जिस पर ओएस फोर्ड 2 फेस बासनी जोधपुर व बिल राहुल प्रजापत लिखमाराम इन्द्रा कॉलोनी सांचौर जिला जालोर व 4.06.2014 को जारी किया हुआ था। व एक ड्राईविंग लाईसेंस अमित कुमार पुत्र गोपीराम लिखा हुआ मिला। शराब व ईको फोर्ड स्पोट्स गाडी को पृथक् पृथक फर्द के जरिये मौके पर जब्त की गई व बरामदगी का नक्शा बनाया गया व मौके की कार्यवाही कर मय जब्तसुदा शराब के थाने पहुंचकर थानाधिकारी गुमानाराम मुकदमा दर्ज करवाया। मेरी रपट रवानगी प्रदर्श पी 1 है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी ईको स्पोर्टस वाहन प्रदर्श पी 3 है जिस

पर भी सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी नक्शा प्रदर्श पी 4 है, जिस पर भी सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। 10.12.2015 को रमेश कुमार को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 के गिरफतार किया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझे पुछताछ कर मेरे बयान लिए थे।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि जब्ती अधिकारी के द्वारा उसके सामने गाड़ी की खानातलाशी व जमातलाशी बाबत धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम पर्चा तैयार नहीं किया गया था। स्वतंत्र मौतबीरान हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया था। जब्तशुदा गाड़ी से मुलजिमान राहुल एवं रमेश के कोई कागजात नहीं मिले हैं। गवाह स्वीकार करता है कि भागने वाले मुलजिमानों को उन्होंने नहीं देखा, न ही पहचाना। भागे हुए मुलजिमानों की उसके सामने शिनाख्तगी नहीं करवायी गयी थी तथा वह मुलजिमानों को आज भी नहीं पहचानता है। प्रकरण के स्वतंत्र मौतबीरान नहीं है तथा मौतबीरान जाब्ता में शामिल गुमानाराम के अधीनस्थ कर्मचारी है।

10. गवाह पीडब्ल्यू 03 सुल्तानराम है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"मैं दिनांक 08.01.2015 पीएस रामसीन मे कानि. के पद पर था। उस रोज मालखाना इंचार्ज महबूब खां ने मुझे प्रस्तुत प्रकरण का मालखाना नमूना सैंपल शराब के सीलबंद प्रदर्श एस-1 से एस-7 थाने के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6 के मुझे सुपुर्द किये थे, जिस पर मैं एसपी कार्यालय पहुंचकर एफएसएल जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 7 तैयार करवाकर नमूना शराब एफएसएल जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 8 पुनः लाकर पेश की। मेरा रोड़ प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 9 है। नमूना मेरे पास रहा तब तक सीलबंद हालात में रहा। प्रदर्श पी 7 पर ए से बी दो स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि थाने से जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्श 6 पर उसके एवं थाना एचएम के कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 6 पर महबूब खां द्वारा उसे मालखाना सुपुर्द किए जाने बाबत कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 7 पर मालखाना देवाराम को सुपुर्द करने एवं प्राप्त करने बाबत देवाराम के कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 7 पर मालखाना एसपी ऑफिस में सुपुर्द किये जाने का समय एवं प्राप्त किये जाने का समय अंकित नहीं है।

11. गवाह पीडब्ल्यू 4 महबूब खां है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"दिनांक 21.12.2014 को पुलिस थाना रामसीन में हैड कानिस्टेबल के पद पर तैनात था। गुमानाराम थानाधिकारी के आबकारी एक्ट के वजह सबूत व नमूना सैम्पल जमा मालखाना के लिए दिए थे। मैं उस रोज मालखाना प्रभारी थाना था। सात पैकेट नमूना सैम्पल सीलचेपा और 35 वजह सबूत थे। एस 1 से एस 7 नमूना सैम्पल और वजह सबूत ए से एस तक थे। जिन्हें मालखाना में जमा किया। मैंने श्री सुल्तानाराम कांस्टेबल को एफ.एस.एल. परीक्षण के लिए नमूना सैम्पल सुपुर्द किया था। थाने का अग्रेषण पत्र बनाकर सुल्तानाराम को सुपुर्द किया। सुल्तानाराम द्वारा जालोर एस.पी. कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करा माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करा प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि नमूना सैंपल व वजह सबूत को देख परख कर जमा किया था। वह नहीं बता सकते कि कौन से नमूना सैम्पल में कौनसी वैरायटी की शराब थी। गवाह स्वीकार करते हैं कि जब तक वजह सबूत मालखाना रामसीन थाने में रहा तब तक वह उसके कब्जे में रहा। उसके पास जमा आर्टिकल में क्या-क्या वैरायटी व क्या-क्या मात्रा थी उसे आज याद नहीं है। एफएसएल में सात बोतलें भेजी थी कोई पव्वा नहीं था। सात बोतलें कौनसी वैरायटी की थी उसे आज याद नहीं है। कौन सी बोतल पर कौनसा आर्टिकल लगा हुआ था उसे याद नहीं है। प्रदर्श 6 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, न ही उसका कोई पृष्टांकन है। वह स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा मालखाना सुपुर्द किये जाने का कोई पृष्ठांकन प्रदर्श 6 पर नहीं है।

12. गवाह पीडब्ल्यू 5 देवाराम है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"मैं दिनांक 08.01.2016 में पुलिस अधीक्षक, जालोर के कार्यालय में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज पुलिस थाना रामसीन से सुल्तानराम कांस्टेबल 329 ने एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु सात पैकेट अग्रेषण पत्र तैयार करने बाबत लेकर आया था। जिस पर मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जालोर का अग्रेषण पत्र तैयार**

> **करवाकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जालोर के हस्ताक्षर करा नमूना सैम्पल मय अग्रेषण पत्र एफ.एस.एल. जोधपुर में जमा कराने हेतु सुल्तानराम को पुनः सुपुर्द किया गया। नमूना सैम्पल जब तक मेरे पास रहा सीलबंद सुरक्षित हालत में रहा था। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 07 पर सी से डी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर हैं।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श 6 पर सुल्तानाराम के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 6 पर उसके द्वारा नमूना प्राप्त करने के उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 7 पर भी उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली पर नमूना पुनः सुल्तानाराम को सुपुर्द करने की प्राप्ति रसीद या सुपुर्दगी नहीं है। प्रदर्श 8 पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है।

13. गवाह पीडब्ल्यू 7 जुगल किशोर है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"7 अप्रेल 2015 को मैं पुलिस थाना रामसीन में कानि. कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसपी ऑफिस जालोर से दिनेश पुत्र वागाराम के मोबाइल नंबर 8875651385 की सीडीआर जरिए ई-मेल पुलिस थाना रामसीन पर प्राप्त हुयी थी। मैंने थानाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त नंबर की सीडीआर प्रदर्श पी 11 थाने के कंप्यूटर से निकालकर थानाधिकारी को दी थी, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।"**

14. गवाह पीडब्ल्यू 9 दौलाराम है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"दिनांक 20.12.2014 को मैं कानि. पुलिस थाना रामसीन के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय 9 पीएम पर एसएचओ गुमानाराम के साथ मन कानि., हेड कानि. दीपसिंह, कानि. तेजाराम, बाबूलाल, दीपक कुमार जरिए सरकारी जीप चालक राकेश कुमार मय अनुसंधान बॉक्स के नाकाबंदी व लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु मांडोली की तरफ रवाना होकर मांडोली पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी वक्त 12.30 एएम पर जालोर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी तेजगति से आती दिखाई**

दी, जिस पर एसएचओ मय जाब्ता ने उक्त वाहन को रोकने का ईशारा किया, मगर वाहन पुलिस नाकाबंदी तोडकर रामसीन की तरफ भाग गया। जिस पर एसएचओ मय जाब्ता ने उक्त वाहन का पीछा किया, तो रामसीन व मांडोली के बीच में रोड के साइड में उक्त वाहन असंतुलित होकर एक बबूल के पेड से टकराया पडा दिखाई दिया, जिस पर वाहन में संदिग्ध वस्तु होने का संदेह होने पर वाहन की तलाशी लेना आवश्यक होने पर एसएचओ मय जाब्ता ने वाहन को चैक किया, तो वाहन फोर्ड इको-स्पोर्ट बरंग सफेद, जिसके पीछे नंबर आरजे 19 टेम्प. 0195850 लिखे हुए थे, वाहन की फाटक खोलकर अंदर चैक किया, तो शराब के कार्टन व बोतलें भरी हुई पाई गई। वाहन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा नहीं पाया। वाहन चालक पुलिस का पीछा देखकर वाहन को छोड़कर बबूल की झाडियों व अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन में शराब अवैध व बिना परमिट के होना पाए जाने पर अपराध धारा 19/54 आरई एक्ट की हद में आना पाया जाने पर वाहन में भरी शराब व वाहन को वजह सबूत कब्जा पुलिस में लेना आवश्यक होने से रात्रि में मौके पर स्वतंत्र मौतबीर उपस्थित नहीं होने से हमरा पुलिस जाब्ता में से हेड कानि. दीपसिंह नंबर 361 व कानि. बाबूलाल 405 को मौतबीर मामूर कर वाहन की तलाशी ली, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब ब्लेक डॉग (रिजर्व) के तीन कार्टन, ब्लेक डॉग ट्रिपल गोल्ड के तीन कार्टन, प्रत्येक कार्टन में छः-छः बोतल, बलेंडर प्राइड की खुली 49 बोतलें, पासपोर्ट स्कॉच के तीन कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12-12 बोतलें तथा पासपोर्ट स्कॉच की 24 खुली बोतलें, 100 पाइपर डिलक्स की खुली 39 बोतलें, टीचर्स की खुली 20 बोतलें, स्मिर्नोफ वोदका के 5 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12-12 बोतलें, ब्लेक एंड वाइट के एक कार्टन में 12 बोतलें व ब्लेक एंड वाइट शराब की 28 खुली बोतलें पाई गई, जिन पर प्रत्येक बोतल पर फोर सेल इन हरियाणा ऑनली लिखा हुआ था। उक्त अंग्रेजी शराब को नमूना सैम्पल व वजह सबूत हेतु

कब्जा पुलिस लेना आवश्यक होने से ब्लेंडर प्राइड की खुली 49 बोतलों में से एक बोतल नमूना सैंपल लिया जाकर सीलचेपा कर मार्क एस1 अंकित किया, शेष बोतलों को आठ कार्टनों में प्रत्येक कार्टन में छः-छः बोतलें डालकर सीलचेपा किया जाकर अन्य कार्टन व शराब नियमानुसार नमूना सैम्पल लिया जाकर सीलचेपा किया गया। उपर्युक्त सभी अवैध शराब को रूबरू गवाहान के जरिए फर्द जब्त किया गया व उक्त वाहन को जब्त किया गया। फर्द नक्शानजरी बरामदगी मुर्तीब की गई। बाद कार्यवाही जब्तसुदा शराब मय वाहन के रामसीन थाना हाजिर आए व थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि गाड़ी के अंदर कौन-कौन व्यक्ति सवार थे इस बाबत उसे कोई जानकारी नहीं है। वह स्वीकार करते हैं कि नाकाबंदी तोड़कर भागने वाली गाड़ी में शराब थी या नहीं यह उसने नहीं देखा था। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से उसने भागते हुए देखा था लेकिन कौन व्यक्ति था उसे नहीं पता। गाड़ी से मुलजिमान को भागते हुए देखने की बात पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में नहीं है। गाड़ी से अमित कुमार के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था।

15. गवाह पीडब्ल्यू 08 गुमानाराम है जो कि जब्तीकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता है जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"दिनांक 20.12.2014 को मैं थानाधिकारी पुलिस थाना रामसीन के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय 9 पीएम पर मन एसएचओ मय हेड कानि. दीपसिंह, कानि. तेजाराम, दौलाराम, बाबूलाल, दीपक कुमार जरिए सरकारी जीप चालक राकेश कुमार मय अनुसंधान बॉक्स के नाकाबंदी व लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु मांडोली की तरफ रवाना होकर मांडोली पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी वक्त 12.30 एएम पर जालोर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी तेजगति से आती दिखाई दी, जिस पर मन एसएचओ मय जाब्ता ने उक्त वाहन को रोकने का ईशारा किया, मगर वाहन पुलिस नाकाबंदी तोडकर रामसीन की तरफ भाग गया। जिस पर मन एसएचओ मय जाब्ता ने उक्त वाहन का पीछा किया, तो

रामसीन व मांडोली के बीच में रोड के साइड में उक्त वाहन असंतुलित होकर एक बबूल के पेड से टकराया पडा दिखाई दिया, जिस पर वाहन में संदिग्ध वस्तु होने का संदेह होने पर वाहन की तलाशी लेना आवश्यक होने पर मन एसएचओ मय जाब्ता ने वाहन को चैक किया, तो वाहन फोर्ड इको-स्पोर्ट बरंग सफेद, जिसके पीछे नंबर आरजे 19 टेम्प. 0195850 लिखे हुए थे, वाहन की फाटक खोलकर अंदर चैक किया, तो शराब के कार्टन व बोतलें भरी हुई पाई गई। वाहन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा नहीं पाया। वाहन चालक पुलिस का पीछा देखकर वाहन को छोड़कर बबूल की झाडियों व अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन में शराब अवैध व बिना परमिट के होना पाए जाने पर अपराध धारा 19/54 आरई एक्ट की हद में आना पाया जाने पर वाहन में भरी शराब व वाहन को वजह सबूत कब्जा पुलिस में लेना आवश्यक होने से रात्रि में मौके पर स्वतंत्र मौतबीर उपस्थित नहीं होने से हमरा पुलिस जाब्ता में से हेड कानि. दीपसिंह नंबर 361 व कानि. बाबूलाल 405 को मौतबीर मामूर कर वाहन की तलाशी ली, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब ब्लेक डॉग (रिजर्व) के तीन कार्टन, ब्लेक डॉग ट्रिपल गोल्ड के तीन कार्टन, प्रत्येक कार्टन में छः-छः बोतल, बलेंडर प्राइड की खुली 49 बोतलें, पासपोर्ट स्कॉच के तीन कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12-12 बोतलें तथा पासपोर्ट स्कॉच की 24 खुली बोतलें, 100 पाइपर डिलक्स की खुली 39 बोतलें, टीचर्स की खुली 20 बोतलें, स्मिर्नोफ वोदका के 5 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12-12 बोतलें, ब्लेक एंड वाइट के एक कार्टन में 12 बोतलें व ब्लेक एंड वाइट शराब की 28 खुली बोतलें पाई गई, जिन पर प्रत्येक बोतल पर फोर सेल इन हरियाणा ऑनली लिखा हुआ था। उक्त अंग्रेजी शराब को नमूना सैम्पल व वजह सबूत हेतु कब्जा पुलिस लेना आवश्यक होने से ब्लेंडर प्राइड की खुली 49 बोतलों में से एक बोतल नमूना सैंपल लिया जाकर सीलचेपा कर मार्क एस1 अंकित किया, शेष बोतलों को आठ कार्टनों में प्रत्येक कार्टन में छः-छः

बोतलें डालकर सीलचेपा किया जाकर अन्य कार्टन व शराब नियमानुसार नमूना सैम्पल लिया जाकर सीलचेपा किया गया। उपर्युक्त सभी अवैध शराब को रूबरू गवाहान के जरिए फर्द जब्त किया गया व उक्त वाहन को जब्त किया गया। जब्तसुदा अवैध शराब व वाहन को थाने में ले जाकर 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान हमराह जाब्ता के 161 सीआर.पी.सी. के तहत बयान लिए गए। नमूना सैम्पल शराब व एफएसएल जांच हेतु भिजवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। वाहन इको स्पोट्र्स कार के कागजात परिवहन विभाग से प्राप्त किए गए। मुलजिम राहुल व रमेश कुमार को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि नाकाबंदी स्थल से गाड़ी को 15-20 फीट की दूरी से आते हुए देखा था। गाड़ी की लाइटें चालू थी। फिर वह कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी को नाकाबंदी से 15-20 फीट पहले नहीं देखा था। वह स्वीकार करते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त खड़ी गाड़ी के पास या अंदर कोई व्यक्ति नहीं था न ही हमरा जाब्ता में किसी व्यक्ति को वहां से भागते हुए किसी ने देखा था। वह स्वीकार करते हैं कि शराब वाली गाड़ी के क्या नंबर थे उन्हें आज याद नहीं है। वह स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा जब्तशुदा गाड़ी से अभियुक्त राहुल के उस गाड़ी में शामिल होने के दस्तावेज एवं उसकी पहचान से संबंधित दस्तावेज उस गाड़ी से जब्त किए थे लेकिन इसका उल्लेख फर्द जब्ती प्रदर्श 2 में नहीं है न ही इन दस्तावेजों की कोई फर्द अलग से मुर्तिब की गयी है।

बयानों के दौरान अनुसंधानकर्ता ने जाहिर किया कि उसके द्वारा दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित नहीं करवाए गए हैं तथा उनसे मुख्य परीक्षण में भूल हुयी है इसलिए वह पुनः मुख्य परीक्षण करवाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित करवाना चाहते हैं। चूंकि जिरह प्रारंभ हो चुकी थी तथा मुख्य परीक्षण पूर्ण हो चुका था इसलिए पुनः मुख्य परीक्षण की अनुमति न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

16. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त विवेचन से निम्नलिखित तथ्य स्थापित होते हैं-

(I.) हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ का शराब होना एफएसएल रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा नमूना सैंपल एफएसएल में जब्त करवाए जाने के बावजूद भी एफएसएल की जांच रिपोर्ट पेश कर जब्तशुदा पदार्थ का शराब होना प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

(II.) मौके से किसी व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया गया है तथा वाहन एवं शराब लावारिस हालत में मिले हैं।

(III.) अभियुक्तगण को जब्ती के लगभग एक साल बाद गिरफतार किया गया है लेकिन संपूर्ण अनुसंधान से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस आधार पर अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित मानी गयी है।

(IV.) जब्तशुदा वाहन से बरवक्त जब्ती एवं अन्यथा अभियुक्तगण की वाहन में उपस्थिति बाबत कोई प्रमाण नहीं मिला है। जिस अमित नामक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का उल्लेख है उसको न तो अभियुक्त बनाया गया है न ही उससे किसी प्रकार की जांच की गयी है।

(V.) अभियुक्तगण की कोई शिनाख्तगी नहीं करवायी गयी है, न ही अभियुक्तगण को किसी गवाहान द्वारा पहचाना गया है।

17. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता मौके पर उपस्थिति, जब्तशुदा वाहन में उपस्थिति, जब्तशुदा वाहन से शराब का परिवहन किया जाना एवं जब्तशुदा पदार्थ का शराब होने के तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पाए हैं इसलिए अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-<u>आदेश</u>-

18. परिणामस्वरूप अभियुक्त राहुल पुत्र लिखमाराम, निवासी लुखु, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त रमेशकुमार पुत्र किशनाराम, निवासी

भालनी, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर दिया हुआ है। जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)

19. निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)